

20/02/2024

पत्रा. पैरा. 1/ बकु. उप. / का. की  
 और से श्री लखनभारत एडवो. द्वारा  
 बकालनामा फेडा किया गया।  
 शामिल पत्रावली है। वादी वकील  
 द्वारा पत्रावली नोट-प्रेस करने बब  
 निवेदन किया। वादी वकील द्वारा  
 नोट-प्रेस में पत्रावली खरिज करने  
 बाबत निवेदन किया। वादी वकील  
 को सुना गया। अतः वादी का दावा  
 नोट-प्रेस में खरिज किया गया  
 है।

पत्रावली फुसल सुमार होकर  
 नम्बर से ऊपर की पत्रावली शामिल  
 कर दी गई

सपखण्ड अधिकारी  
 नदबई (भरतपुर)

